राजस्व वाद संख्या:–26/2023
दरिया सिंह बनाम दयालाराम वगै0
निर्णय दिनांक:–20/06/2025.....

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू**

पीठासीन अधिकारी:– **श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)**

मु0नं0 26/2023

01. दरिया सिंह पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
02. अभिमन्यू पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
03. प्रहलाद सिंह पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
04. बलाराम पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

आवेदकगण

बनाम

01. दयालाराम पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
02. रामेश्वरलाल पुत्र बदरू जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
03. पतासी देवी पत्नी गिरधारीराम जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
04. मदनलाल पुत्र स्योनारायण जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
05. मानसिंह पुत्र स्योनारायण जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
06. रामकुमार पुत्र स्योनारायण जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
07. श्रीचन्द पुत्र स्योनारायण जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
08. शारदा देवी पत्नि महावीर सिंह जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
09. सुनिता देवी पत्नि महावीर सिंह जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
10. सभाकोर पत्नि जयपाल जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
11. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक
12. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा किढ़वाना तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये, शाखा प्रबन्धक
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार साहब सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ

अनावेदकगण

**प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**निर्णय**

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम हमीरवास की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 175/76 रकबा 0.010 गै० मु० कुआं, खसरा नम्बर 76 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 77 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 80 रकबा 2.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 90 रकबा 1.24 हैक्टर आवेदकगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। अनावेदकगण 01 लगायत 08 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 0.82 हैक्टर है जिस पर काबिज काश्तकार हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–26 / 2023
दरिया सिंह बनाम दयालाराम वगै0
निर्णय दिनांकः– 20/06/2025......

आवेदक भूमि खसरा नं. 17 रकबा 0.80 हैक्टर में पुख्ता कुआं व मकान बनाकर आबाद है। भूमि खसरा नम्बर 60 के हमीरवास से चिड़ावा जाने वाला कटानी रास्ता लगता है।

आवेदक नम्बर 01 ने भूमि ख. नं. 17 रकबा 0.80 हैक्टर गैर मुमकिन कुआं व मकान बनाकर काबिज काश्तकार हैं। आवेदक नम्बर 01 अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है। आवेदकगण ने आवेदन पत्र के साथ एक नजरी नक्शा पेश किया है जो कि आवेदन पत्र का ही एक भाग है। नजरी नक्शा को आवेदन पत्र के साथ पढ़ा जावे।

आवेदक नम्बर 01 ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 0.80 हैक्टर गैर मुमकिन कुआं व मकान बना रखे हैं तथा आवेदक नम्बर 01 खसरा नं. 17 रकबा 0.80 हैक्टर में उंट गाड़ा, मवेशी ट्रैक्टर व अन्य वाहन लाने–ले जाने के लिये अनावेदक संख्या 01 लगायत 8 की भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 0.82 हैक्टर के मध्य से पश्चिम दिशा के कुछ दूरी पहले होते हुये आवेदक नम्बर 01 भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 0.80 हैक्टर में आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 60 के पश्चिम सीमा के सहारे सहारे कुछ दूरी पहले दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार मार्क क, ख, लाल स्याही से डोटेड किया गया है। रास्ते की आवश्यकता है।

यह कि आवेदकगण 1 के पास अपनी कृषि भूमि ख. नं. 17 रकबा 0.80 हैक्टर गैर मुमकिन कुंआ, खेत व मकान में आने जाने बाबत अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा नजरी नक्शे में मार्क क, ख, दर्शित रास्ते से आवेदक नम्बर 01 अपनी कृषि भूमि ख. नं. 17 में जाने के लिये अन्य कोई निकटतम रास्ता नही है। आवेदक नम्बर 01 को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये आवेदक को अनावेदक संख्या 1 लगायत 8 की भूमि ख. नं. 60 रकबा 0.82 हैक्टर, में से पश्चिम सीमा के सहारे सहारे कुछ दूरी पहले दक्षिण से उत्तर की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार मार्क क, ख जिसे लाल स्याही से डोटेड लाईन से दर्शित किया गया है। रास्ते की आवश्यकता है।

यह कि आवेदकगण उक्त रास्ते बाबत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राशि व बदले में भूमि देने को तैयार है। इसलिये उक्त रास्ता राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि आवेदकगण नम्बर 1 के खेत ख. नं. 17 रकबा 0.80 है० की कृषि भूमि में वाहन, उंट गाड़ी, मवेषी भूमि जोतने के लिये ट्रेक्टर आने जाने के लिये अनावेदक नम्बर 1 की भूमि ख. नं. 60 रकबा 0.82 हैक्टर में से पश्चिम सीमा के सहारे सहारे कुछ दूरी पहले दक्षिण से उत्तर की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार मार्क क, ख, जिसे लाल स्याही से डोटेड लाईन से दर्शित किया गया है को रास्ता घोषित किया जाना फरमाया जावे एवं अनावेदक नम्बर 13 तहसीलदार सूरजगढ को उक्त रास्ते के लिये राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जावे।

**बहस सुनी गई**

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 01, 4 लगायत 07, व 10 की और से श्री हवासिंह चौहान एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 17.08.2023 प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी अप्रार्थी संख्या 01, 4 लगायत 07, व 10 की और से अधिवक्ता श्री हवासिंह चौहान द्वारा दिनांक 10.10.2023 को प्रार्थना पत्र आपत्ति पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सुरजगढ से उक्त रिपोर्ट में अंकित बिन्दुओं की स्पष्ट बिन्दुवार रिपोर्ट हेतु दिनांक 27.05.2024 को तहरीर जारी की गयी। दिनांक 11.06.2024 को तहसीलदार सूरजगढ से रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो शामिल पत्रावली की गयी। मौका जांच रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी एवं शेष अप्रार्थीगण गैरहाजिर । वकील पक्षकारान की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2023/560 दिनांक 17.08.2023 के संलग्न नक्शा में वर्णित बिन्दु ए से डी तक रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–26 / 2023
दरिया सिंह बनाम दयालाराम वगै0
निर्णय दिनांकः–20/06/2025

## आदेश

भूमि खेत खसरा संख्या 17 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम हमीरवास तहसील सुरजगढ में चाहे गये रास्ते के लिये तहसीलदार सुरजगढ की मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक क्रमांक / राजस्व / 2023 / 560 दिनांक 17.08.2023 के अनुसार के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्षित भूमि खसरा संख्या 17 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भुमि खसरा संख्या 60 रकबा 0.82है0 में प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 17 तक कटानी रास्ता खसरा संख्या 60 से 04 मीटर की चौडाई वाला नजरी नकशे में बिन्दु ए से डी तक कुल 102 मीटर लम्बाई दर्शाया गया है का क्षेत्रफल 408 वर्ग मीटर एवं बिन्दु बी से सी पर 90 डिग्री मोड़ होने पर 32 वर्ग मीटर भूमि रास्ते में अतिरिक्त जाती है इस प्रकार बिन्दु ए से डी तक कुल 440 वर्ग मीटर का नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सुरजगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोंई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया ज़ावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट क्रमांक / राजस्व / 2023 / 560 दिनांक 17.08.2023 एवं सलंग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 20/06/2025...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़